



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2015/ज्येष्ठ 1, 1937

No. 1082]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2015/JYAISTHA 1, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

का.आ. 1370(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26 जून, 2013 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 185(अ) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दिल्ली मास्टर प्लान-2021)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना जोन -'डी' में बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	4447.49 वर्ग मी. (1.099 एकड़)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं	'सरकारी (सरकारी कार्यालय)'	उत्तर: विदेश संचार भवन दक्षिण: रोड़ तथा कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मेरी स्कूल पूर्व: बेयर्ड रोड़ एवं बंगला साहिब मार्ग पश्चिम: सर्विस रोड़

[सं. के-13011/26/2012-डीडी- I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2015

S.O. 1370(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 185(E) dated 26.06.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Unique Identification Authority of India (UIDAI) Headquarter building at Bangla Sahib Road, New Delhi in Planning Zone 'D'.	4447.49 sqm. (1.099 Acres)	'Public & Semi-Public facilities'	'Government (Government Office)'	North: Videsh Sanchar Bhawan building South: Road and Convent of Jesus and Mary School East : Baird Road & Bangla Sahib Road West: Service Road

[No. K-13011/26/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.